पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1074
दिनांक-28.06.2026

जोन-उत्तरी/थाना- बी0के0टी, लखनऊ

➢ **थाना बक्शी का तालाब पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि का बैनामा कराने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2026 को थाना बीकेटी पर वादिनी श्री प्रेम कुमार श्रीवास्त पुत्र स्व .द्वारिका प्रसाद श्रीवास्तव निवासी कोटवा रोड सड़क परगना सूर्यपुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी द्वारा उनके स्वर्गीय बाबा के नाम दर्ज भूमि का कथित रूप से फर्जी पहचान एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से बैनामा कराये जाने के संबंध में थाना बक्शी का तालाब पर मु0अ0सं0 109/2026, धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत कराया गया था।

विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना बीकेटी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.06.2026 को ग्राम खेसरावा, थाना इटौंजा, लखनऊ के पास सड़क किनारे से अभियुक्त 1.मनोज पुत्र स्व० सत्यनारायण विश्वकर्मा, निवासी ग्राम खेसरावा, थाना इटौंजा, लखनऊ, उम्र लगभग 36 वर्ष। 2. राजेश पुत्र बाबूलाल, निवासी ग्राम खेसरावा, थाना इटौंजा, लखनऊ, उम्र लगभग 35 वर्ष को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार किया गया है ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 109/2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता)BNS)

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. मनोज पुत्र स्व. सत्यनारायण विश्वकर्मा, निवासी ग्राम खेसरावा, थाना इटौंजा, लखनऊ, उम्र लगभग 36 वर्ष। (व्यवसाय मजदूरी)
2. राजेश पुत्र बाबूलाल, निवासी ग्राम खेसरावा, थाना इटौंजा, लखनऊ, उम्र लगभग 35 वर्ष। (व्यवसाय मजदूरी)

05-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना बी0के0टी0 लखनऊ

1. उ0नि0 राकेश कुमार, थाना बी0के0टी0, जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री अभिमन्यु शाह, थाना बी0के0टी0, जनपद लखनऊ।
3. का0 अंशु कुमार, थाना बी0के0टी0, जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1074

दिनांक-28.06.2026

जोन-उत्तरी/थाना- बी0के0टी, लखनऊ

➢ **थाना बक्शी का तालाब पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 05.06.2026 को थाना बीकेटी पर वादी श्री असहब पुत्र अनीश निवासी सेक्टर-K अलीगंज लखनऊ द्वारा वादी के पिता, ताऊ एवं चाचा के साथ विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडे, पटरे तथा लात-घूंसों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बक्शी का तालाब पर मु0अ0सं0 219/2026, धारा 109(1)/190/191(2)/115(2)/351(3)/117(2) BNS पंजीकृत कराया गया था।

विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना बीकेटी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.06.2026 को **सीतापुर-लखनऊ हाईवे स्थित नन्दना क्रॉसिंग, थाना बीकेटी, लखनऊ** से अभियुक्त 1. नब्बू पुत्र जान मोहम्मद, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम उमरिया, थाना महिगवां, लखनऊ, हाल पता– नई बस्ती, मुस्लिम नगर, नन्दना, थाना बीकेटी, लखनऊ। 2.सूफियान उर्फ सफवान पुत्र गुड्डू, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम उमरिया, थाना महिगवां, लखनऊ, हाल पता– नई बस्ती, मुस्लिम नगर, नन्दना, थाना बीकेटी, लखनऊ को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार किया गया है ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 219/2026, धारा 109(1)/190/191(2)/115(2)/351(3)/117(2) BNS थाना बीकेटी लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

01-नब्बू पुत्र जान मोहम्मद, निवासी ग्राम उमरिया, थाना महिगवां, लखनऊ, हाल पता– नई बस्ती, मुस्लिम नगर, नन्दना, थाना बीकेटी लखनऊ, उम्र लगभग 30 वर्ष। (व्यवसाय दूध का कार्य)

02-सूफियान उर्फ सफवान पुत्र गुड्डू, निवासी ग्राम उमरिया, थाना महिगवां, लखनऊ, हाल पता– नई बस्ती, मुस्लिम नगर, नन्दना, थाना बीकेटी लखनऊ, उम्र लगभग 25 वर्ष। (व्यवसाय दूध का कार्य)

05-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना बी0के0टी0 लखनऊ

1. उ0नि0 राकेश कुमार, थाना बी0के0टी0, जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री अभिमन्यु शाह, थाना बी0के0टी0, जनपद लखनऊ।
3. का0 अंशु कुमार, थाना बी0के0टी0, जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1077
दिनांक-28.06.2026

(CRIME BRANCH) - पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

ऑपरेशन फेक जॉब: क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश।

01-कार्यवाही का विवरण --

साइबर क्राइम सेल कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा, देशभर के नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 03 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया , तथा कॉल सेन्टर में ठगी में प्रयोग किये जा रहे 06 अदद मोबाइल फोन, 2060 रूपये नगद, 01 अदद चार पहिया वाहन मारूती सुजूकी फ्रान्कस, 14 अदद विभिन्न कम्पनियों के सिमकार्ड, 10 अदद डेबिट कार्ड, 02 अदद पासबुक/ चैकबुक, 02 अदद हस्ताक्षरित चैक, 01 अदद आईकार्ड, 213 वर्क फर्जी जाब सीकर एग्रीमेन्ट/फर्जी ज्वाइनिंग लैटर/कन्फर्मेशन लैटर/ क्लाइन्ट डाटा शीट/ ई-मेल/ वाट्सअप चैट, रजिस्ट्रेशन लेटर इत्यादि बरामद।

साइबर सेल को प्राप्त शिकायतों, आईजीआरएस संदर्भों, तकनीकी विश्लेषण एवं साइबर इंटेलिजेंस के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि थाना विभूतिखण्ड क्षेत्र में संचालित एक कॉल सेंटर के माध्यम से देशभर के बेरोजगार युवक-युवतियों को बैंक एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस उपायुक्त अपराध श्रीमती किरन यादव द्वारा तत्काल क्राइम ब्रांच की साइबर सेल की विशेष टीमों का गठन कर तकनीकी एवं मानवीय अभिसूचना के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई हुए क्राइम ब्रांच की साइबर सेल द्वारा उक्त कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई, जहां से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

जांच में पाया गया कि अभियुक्त विभिन्न जॉब पोर्टलों एवं अन्य स्रोतों से बेरोजगार युवक-युवतियों का डेटा खरीदते थे तथा स्वयं को विभिन्न बैंक एवं प्रतिष्ठित कंपनियों का एचआर अधिकारी बताकर उनसे संपर्क करते थे। इसके पश्चात फर्जी जॉइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, कन्फर्मेशन लेटर, जॉब सीकर एग्रीमेंट एवं अन्य दस्तावेज व्हाट्सएप एवं ई-मेल के माध्यम से भेजकर पीड़ितों का विश्वास अर्जित किया जाता था। बाद में रजिस्ट्रेशन शुल्क, इंटरव्यू शुल्क, वेरिफिकेशन शुल्क एवं प्लेसमेंट शुल्क आदि के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में धनराशि जमा कराकर साइबर ठगी की जाती थी।

अभियुक्तों द्वारा संचालित कॉल सेंटर से बरामद मोबाइल नंबरों एवं आईएमईआई की एनसीआरपी पोर्टल पर जांच किए जाने पर देश के विभिन्न राज्यों से साइबर ठगी से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त होना प्रकाश में आया है। प्रारंभिक जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्त लंबे समय से इस आपराधिक गतिविधि में संलिप्त थे तथा देशभर के नौकरी तलाशने वाले अभ्यर्थियों को अपना निशाना बना रहे थे। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे प्रति माह जॉब पोर्टलों से हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों का डेटा खरीदते थे तथा योजनाबद्ध तरीके से उन्हें कॉल कर नौकरी दिलाने का प्रलोभन देते थे। फर्जी एचआर अधिकारी बनकर बातचीत करने के लिए अलग-अलग नामों एवं मोबाइल नंबरों का प्रयोग किया जाता था ताकि पीड़ितों को विश्वास में लिया जा सके।

इसके पूर्व में भी दिनांक 12.06.2026 को अपराध शाखा, कमिश्नरेट लखनऊ के साइबर क्राइम सेल व साइबर थाना लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा, देशभर के नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 05 नफर शातिरो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था , तथा कॉल सेन्टर में ठगी में प्रयोग किये जा रहे 11 अदद की-पैड मोबाइल फोन, 02 एन्ड्रायड मोबाइल फोन, एक अदद लैपटॉप, 102 वर्क डाटा शीट, 26 वर्क फर्जी ज्वानिंग लैटर, एप्रूबल लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर इत्यादि बरामद किये गये थे।

02-अपराध का संक्षिप्त विवरण –

आईजीआरएस की जांच व साईबर अपराध से सम्बन्धित उपलब्ध कराये जा रहे डाटा के अवलोकन व उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में वढ़ते साईबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, साईबर अपराधियों को पकड़ने व अवैध कॉल सेन्टरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में, विभूतिखण्ड थाना क्षेत्र में साईबर क्राइम टीम द्वारा छापे मारी की गयी जिसमें सी-71 नियर साई टावर से 03 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणों के कॉल सेन्टर से ठगी में प्रयोग किये जा रहे 06 अदद मोबाइल फोन, 2060 रूपये नगद, 01 अदद चार पहिया वाहन मारूती सुजूकी फ्रान्कस, 14 अदद विभिन्न कम्पनियों के सिमकार्ड,10 अदद डेबिट कार्ड, 02 अदद पासबुक/ चैकबुक, 02 अदद हस्ताक्षरित चैक, 01 अदद आईकार्ड, 213 वर्क फर्जी जाब सीकर एग्रीमेन्ट/फर्जी ज्वाइनिंग लैटर/कन्फर्मेशन लैटर/ क्लाइन्ट डाटा शीट/ ई-मेल/ वाट्सअप चैट, रजिस्ट्रेशन लेटर इत्यादि बरामद किये गये। कॉल सेन्टर से बरामद की-पैड मोबाइल फोन के नम्बर , आईएमईआई को एनसीआरपी पोर्टल पर चेक किया गया तो पाया गया कि उन मोबाइल नम्बरों/ आईएमईआई पर देशभर से ऑनलाईन कम्पलेन्ट प्राप्त हुयी, जिनमें शिकायतकर्ताओं/ बेरोजगार युवक/ युवतियों को नामचीन **बैंक में लोन रिकवरी एजेन्ट व डाटा एन्ट्री के फर्जी जाब सीकर एग्रीमेन्ट/फर्जी ज्वाइनिंग लैटर/कन्फर्मेशन लैटर भेजकर बैंक प्रतिनिधि बनकर** जॉब दिलाने के नाम पर ठगी की गयी है। जिसके क्रम में थाना विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 221/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(2)/338/340(2)/3(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट कमिश्नरेट लखनऊ पंजीकृत हुआ है।

03-अभियुक्त से पूंछताँछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्त बलराम तिवारी व उसके सहयोगियों से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पूंछताँछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा वताया गया कि वह तथा उसके साथी मिलकर अपना जाब डाट काम व वर्क इण्डिया से बेरोजगार युवक युवतियो का 1.65 पैसे/ व्यक्ति का डाटा प्रति महीने लगभग 10 हजार रूपये का डाटा खरीदकर अभियुक्त बलराम तिवारी, शैलेश कुमार के द्वारा नीतेश शर्मा के साथ मिलकर भोले-भाले बेरोजगार लोगों को बैंक में नौकरी दिलाने का झाँसा देकर एक राय होकर स्वंय को कम्पनी का फर्जी एच0आर0 वताते हुये फर्जी कूटरचित प्रपत्र - कूटरचित जाब सीकर एग्रीमेन्ट, फर्जी ज्वाइनिंग लैटर व कन्फर्मेशन लैटर इत्यादि भेजकर उनको विश्वास में लेकर सामान्य आशय से जालसाजी करते हुए फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुये धोखाधड़ी करके ठगी की जाती है। कम्पनियों के फर्जी ज्वानिंग लैटर,एप्रूबल लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर इत्यादि व्हॉटसप/जी-मेल के माध्यम से भेजकर उन्हें विश्वास में लेकर रजिस्ट्रेशन चार्ज, इन्टरव्यू चार्ज, प्लेसमेन्ट चार्ज आदि के नाम पर उनसे ठगी का पैसा अलग अलग बैंक खातों में स्थानान्तरित करा लेते हैं।

04-अनावरण किये गये अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 221/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(2)/338/340(2)/3(5) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

01. बलराम तिवारी पुत्र प्रेम कुमार तिवारी निवासी पोस्ट विज्गवा कला, हुईला थाना पिहानी देहात जनपद हरदोई उम्र 25 वर्ष (मैनेजर/डायरेक्टर)

02. शैलेश कुमार उर्फ एचआर शिखर त्रिपाठी पुत्र महेश नारायण निवासी पूरे अहलाद पाण्डेय कौहार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र 32 (एच आर/कॉलर)

03.नीतेश शर्मा उर्फ एचआर अजीत सिंह पुत्र रामखिलावन शर्मा निवासी ग्राम मैनपुर थाना तरकुल्वा जनपद देवरिया उम्र 24 वर्ष (एच आर/कॉलर)

06-आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तों के द्वारा कॉल सेन्टर में प्रयोग किये जा रहे मोबाइल नम्बर, आईएमईआई, बैंक खातों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में साइबर पुलिस पोर्टल पर लाखों रुपये की ठगी से सम्बन्धित ऑनलाईन शिकायत दर्ज हैं। जिनसे सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

07-बरामदगी का विवरण

- फ्रॉड में इस्तेमाल किये जाने वाले मोबाइल फोन – (06 अदद मोबाईल फोन)
- 01 अदद मोबाइल फोन वन प्लस बारंग स्काई ब्लू आईएमईआई 862202050574895, 862202050574887, 01अदद कीपैड फोन इन्टेक्स बारंग लाइट ग्रे आईएमईआई 911618550808815, 911618550808807,
- 3-01 अदद आईफोन-12 बारंग नीला जो की उसका पर्सनल फोन है, जिसका आईएमईआई 354244474237993, 354244474006604
- 01अदद मोबाईल फोन वन प्लस बारंग डार्क ग्रे आईएमईआई 867478078170677, 867478078170669,
- 01 अदद मोबाईल फोन ओप्पो बारंग भूरा आईएमईआई 866658078849351, 866658078849344,
- 01 अदद कीपैड सैमसंग बारंग काला आईएमईआई 35359111091019374, 35359111091019372,
- 213 वर्क फर्जी जाब सीकर एग्रीमेन्ट/फर्जी ज्वाइनिंग लैटर/कन्फर्मेशन लैटर/ क्लाइन्ट डाटा शीट/ ई-मेल/ वाट्सअप चैट, रजिस्ट्रेशन लेटर
- धनराशि 2060 रूपये नगद
- 01 अदद चार पहिया वाहन मारूती सुजूकी फ्रान्कस
- 14 अदद विभिन्न कम्पनियों के सिमकार्ड
- 10 अदद डेबिट कार्ड
- 02 अदद पासबुक/ चैकबुक
- 02 अदद हस्ताक्षरित चैक,
- 01 अदद आईकार्ड,

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- साईबर सेल पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ

09-जनसामान्य हेतु अपील-

अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) **श्रीमती किरन यादव (I.P.S.)** ने नागरिकों से अपील की है कि—

- नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को Registration Fee, Verification Fee या Placement Fee का भुगतान करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें।
- केवल कंपनी की Official Website, Official Email ID एवं Verified HR से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें।
- WhatsApp या Email पर प्राप्त Joining Letter, Offer Letter या Agreement की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।
- किसी भी अज्ञात QR Code को स्कैन कर भुगतान न करें।
- अपने Aadhaar, PAN, Resume, Bank Details एवं OTP किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें।
- साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- सुरक्षित रहें • सतर्क रहें • साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूक बनें
- सतर्क नागरिक ही साइबर अपराध के विरुद्ध सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हैं।
- साइबर ठगी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

जारीकर्ता -
अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) कार्यालय

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1073
दिनांक-28.06.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-काकोरी

➢ **काकोरी पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.06.2026 को उ0नि0 छत्रजीत सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह मय उ0नि0 श्री उत्तम सिंह व का0 गौरव भदौरिया के तलाश बाछिंत अपराधी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में ग्राम सकरा बेलवा कठिंगरा रोड पर मामूर मामूर थे।

मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनेश गौतम के आम के बाग में एक संदिग्ध व्यक्ति टहल रहा है जो कोई घटना कारित कर सकता है। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंचकर एक संदिग्ध व्यक्ति को एकबारगी दबिश देकर/घेरकर पकड लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूंछा गया तो उसने अपना नाम सिरीश पुत्र राम नरेश निवासी ग्राम सकरा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए काले लोवर से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामद तमंचे के बारे में लाईसेंस तलब किया गया तो लाईसेंस दिखाने से कासिर रहा। मौके पर अभियुक्त सिरीश पुत्र राम नरेश उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 212/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02.बरामदगी का विवरण

01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सिरीश पुत्र राम नरेश निवासी ग्राम सकरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0 212/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना काकोरी लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री छत्रजीत सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री उत्तम सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
4. का0 गौरव भदौरिया थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1078
दिनांक-28.06.2026

जोन- मध्य/ थाना- मानकनगर

- **थाना मानकनगर की पुलिस टीम द्वारा महिला को जान से मारने की नियत से चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल तथा बचाने आए युवक को भी गंभीर रूप से घायल करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही का विवरण-

थाना मानकनगर पुलिस टीम द्वारा महिला को जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने एवं बीच-बचाव करने आए युवक पर भी जानलेवा हमला करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए **दो अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है।

वादिनी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-30/2026** अंतर्गत धारा **115(2)/118(1)/351(3)/352/109(1)/126(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **26.06.2026** को रात्रि लगभग **09:30 बजे** अभियुक्त **विकास यादव** ने अपने ही गांव की रहने वाली एक महिला को रास्ते में रोक लिया तथा उसका गला पकड़कर मारपीट एवं गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने महिला पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना के दौरान जब एक युवक महिला को बचाने के लिए आगे आया तो अभियुक्त ने उसके सीने पर भी चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना के समय अभियुक्त का भाई **शिवम यादव उर्फ शिवा यादव** एवं उसके दो अन्य साथी भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने पीड़ितों के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना के अनावरण हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के क्रम में—

- मुख्य अभियुक्त **विकास यादव** को **दिनांक 27.06.2026** की रात्रि में **जनपद रायबरेली** से गिरफ्तार किया गया।
- सह-अभियुक्त **शिवम यादव उर्फ शिवा यादव** को **दिनांक 28.06.2026** को **ग्राम मेहंदीखेड़ा, थाना मानकनगर** क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

03-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण

01-विकास यादव पुत्र स्व० रोशन लाल यादव निवासी- 555ज/9, मेहंदीखेड़ा, थाना मानकनगर, लखनऊ उम्र लगभग 29 वर्ष

02-शिवम यादव उर्फ शिवा यादव पुत्र स्व० रोशन लाल यादव निवासी- 555ज/9, मेहंदीखेड़ा, थाना मानकनगर, लखनऊ उम्र लगभग 25 वर्ष

04-अभियुक्त विकास यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-173/2018 धारा 147, 323, 506 IPC थाना मानकनगर
2. मु0अ0सं0-76/2025 धारा 115(2), 191(2), 324(4), 351(3), 352, 75, 76 BNS थाना मानकनगर
3. मु0अ0सं0-30/2026 धारा 115(2), 118(1), 351(3), 352, 109(1), 126(2) BNS थाना मानकनगर

05-अभियुक्त शिवम यादव उर्फ शिवा यादव आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-29/2023 धारा 120B, 201, 302, 34 IPC थाना काकोरी
2. मु0अ0सं0-46/2023 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट एवं 3 जुआ अधिनियम, थाना काकोरी
3. मु0अ0सं0-221/2025 धारा 2(b)(i), 2(b)(xi), 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना काकोरी
4. मु0अ0सं0-76/2025 धारा 115(2), 191(2), 324(4), 351(3), 352, 75, 76 BNS थाना मानकनगर
5. मु0अ0सं0-30/2026 धारा 351(3), 352 BNS थाना मानकनगर

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

अभियुक्त विकास यादव की गिरफ्तारी

- उ0नि0 त्रिभुवन सिंह
- उ0नि0 सत्यम द्विवेदी
- उ0नि0 अंकित कुमार
- आरक्षी पवन कुमार
- आरक्षी रामायण

अभियुक्त शिवम यादव उर्फ शिवा यादव की गिरफ्तारी

- उ0नि0 त्रिभुवन सिंह
- उ0नि0 विवेक आनंद मिश्रा
- आरक्षी विकास कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1076

दिनांक-28.06.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-सैरपुर

➢ **थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना सैरपुर पर दिनांक **25.06.2026** को वादी **श्री सुचित यादव पुत्र रामस्वरूप यादव निवासी ग्राम अहलादपुर, कमलाबाद बढ़ौली, थाना सैरपुर, लखनऊ** द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षीगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 70/2026** धारा **115(2)/351(3)/352 बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एवं घायल **रामस्वरूप यादव** को आई गंभीर (प्राणघातक) चोट तथा मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर अभियोग में **धारा 109 बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम लगातार संभावित स्थानों पर दबिश एवं पतारसी-सुरागरसी कर रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक **28.06.2026** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम अहलादपुर में दबिश देकर वांछित अभियुक्त **लल्ला पुत्र रामनाथ** को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए **मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों** का पालन करते हुए विधिक रूप से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों एवं जनपदों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

(1) लल्ला पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम अहलादपुर थाना सैरपुर, लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष (खेती किसानी)

03-बरामदगी:-

➢ घटना में प्रयुक्त डंडा -02 अदद

04-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 70/2026 धारा 115(2)/351(3)/352/109 बीएनस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सैरपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामदेव
2. का0 राजेश आर्या